

अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय (राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय), समस्तीपुर

बी0एड0 सत्र-2017-19 में नामांकन के लिए TET उत्तीर्ण नियोजित अभ्यर्थियों का पंचम औपबंधिक मेधा सूची (रिक्ति से तीन गुणा)

क्र.	आ0 क्र.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	आरक्षण की कोटि	महिला / पुरुष	दिव्यांग (Yes /No)	जन्म तिथि	नियोजित/ अनियोजित	BSITET (10 & 10+2) / TET (6-8)	BSITET (10 & 10+2) / TET (6-8) में प्राप्तांक	BSITET (10 & 10+2) / TET (6-8) में प्राप्तांक का प्रतिशत	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	239	मणि कान्त चौधरी	यदु नारायण चौधरी	UR	M	N	01.03.1977	Niyojit	TET	90	60.00	UR
2	129	बुद्धिनाथ झा	धन्नु झा	UR	M	N	06.04.1979	Niyojit	TET	90	60.00	UR
3	66	श्वेता रानी	श्याम देव प्रसाद	EBC	F	N	13.12.1984	Niyojit	TET	90	60.00	UR
1	54	राजीव कुमार	अशोक साह	EBC	M	N	05.02.1985	Niyojit	TET	90	60.00	EBC
2	233	मो0 अजीजुल हक	मो0 मंजूर	EBC	M	N	15.12.1985	Niyojit	TET	90	60.00	EBC
3	476	सज्जन कुमार	पांचु प्रसाद सिंह	EBC	M	N	12.01.1988	Niyojit	TET	90	60.00	EBC
1	277	राजीव कुमार राम	राजेन्द्र राम	SC	M	N	20.03.1988	Niyojit	TET	83	55.33	SC
2	243	राजेन्द्र कुमार राम	तनुक राम	SC	M	N	05.08.1988	Niyojit	TET	83	55.33	SC
3	808	श्याम सुन्दर पासवान	बिन्देश्वर पासवान	SC	M	N	31.10.1974	Niyojit	TET	82	54.66	SC

सदस्य सचिव  
अ0शि0महा0, समस्तीपुर

## अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय, समस्तीपुर

### सूचना

पंचम औपबंधिक मेधा सूची में चयनित सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक-27.06.2017 (मंगलवार) को 10:00 पूर्वाह्न महाविद्यालय में उपस्थित होकर अपने सभी शैक्षणिक मूल प्रमाण-पत्र एवं उसकी दो स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति (दो फोलडर फाईल में) एवं नीचे दिये गये सभी प्रमाण पत्रों के साथ काउंसलिंग करा लेंगे। निर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं होने पर आपके नामांकन का दावा स्वतः समाप्त हो जायेगा और प्रतीक्षक सूची के अभ्यर्थियों पर विचार किया जायेगा।

1. मैट्रिक या समकक्ष के प्रमाण-पत्र जिसमें जन्म तिथि अंकित हो।
2. स्नातक/स्नातकोत्तर का मूल अंक पत्र एवं प्रमाण-पत्र।
3. स्नातक/स्नातकोत्तर का CLC/DLC।
4. BSITET/TET उत्तीर्णता का प्रमाण-पत्र।
5. नियोजन पत्र।
6. आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी जिला पदाधिकारी या अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र।
7. नियोजित कोटि के अभ्यर्थी विद्यालय में कार्यरत रहने का प्रमाण-पत्र जो प्रधानाध्यापक द्वारा निर्गत हो और जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो।
8. हाल का खीचा हुआ दो रंगीन फोटो पासपोर्ट साईज का।
9. 100.00 रुपये का स्टॉप पेपर पर इस आशय का शपथ-पत्र की उनके द्वारा दिये गये सभी सूचना एवं प्रमाण-पत्र सही हैं। भविष्य में कोई त्रुटि या गलत जानकारी पाये जाने पर उनका नामांकन रद्द कर दिया जायेगा एवं उनके विरुद्ध कानूनी कारवाई की जायेगी।
10. नियोजित शिक्षक को इस आशय का बॉन्ड (दिये गये प्रारूप के अनुसार) देना होगा कि प्रशिक्षण अवधि में सवैतनिक अवकाश इस शर्त के साथ देय होगा कि वे प्रशिक्षण के उपरान्त कम से कम 5 वर्षों का शिक्षण का कार्य करेंगे। विनिश्चित अवधि के पूर्व सेवा छोड़ने की स्थिति में प्रशिक्षण अवधि में प्राप्त वेतन आदि सरकार के खजाने में जमा करना होगा। वसूलनीय राशि लोक माँग के रूप में वसूलनीय होगी।
11. सक्षम प्राधिकार (नियोजन पदाधिकारी) के द्वारा विधिवत् रूप से सवैतनिक अवकाश की स्वीकृति संबंधी आदेश की कॉपी मूल प्रति।  
(नोट :- निदेशक (शोध एवं प्रशिक्षण), शिक्षा विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-130, दिनांक-13.04.2017 एवं पत्रांक-658, दिनांक-09.11.2015 के आलोक में सक्षम प्राधिकार (नियोजन पदाधिकारी) के द्वारा विधिवत् रूप से सवैतनिक अवकाश की स्वीकृति संबंधी आदेश की कॉपी मूल प्रति नहीं लाने पर सवैतनिक अवकाश का दावा मान्य नहीं होगा।)
12. नामांकन हेतु प्रथम वर्ष के लिए 12,500.00 (बारह हजार पाँच सौ) रुपये एवं अनु0जाति/ज0जाति/नि:शक्त के लिए यह राशि 4900.00 (चार हजार नौ सौ) रुपये नामांकन के लिए निर्धारित है। यह राशि विद्यार्थियों के मासिक योजना एवं आवास शुल्क को छोड़कर है।
13. किसी भी तरह के दावा का निपटारा नामांकन समिति द्वारा किया जायेगा जो अंतिम होगा।

  
सदस्य सचिव-सह-वरीय व्याख्याता  
अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय,  
समस्तीपुर।